12/11/25

पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उप० अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रा० पत्र जरिये अधिवक्तागण पेश हुआ। रेस्पो० संख्या 01 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी था। जिसके पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी थी। द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। तथा कोई विवाद शेष नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-मराठा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि मुख्य एवं एकमात्र प्रभावित पक्षकार रेस्पो० संख्या 01 अपील अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2019 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/8/2020 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी भबुताराम की ओर से कोई प्रतिकर राशि जमा करवायी गयी हो तो उसका प्रार्थी को पुनः भुगतान करें। निर्णय आज दिनांक 12/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। 12/11/24 राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही	